

### न्यायालय माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र

पुनरीक्षण प्रकरण क्रं. :-  
पेशी तारीख :-



R/मिगरानी/बुरहानपुर/भूरा/२०१७/३५९७

श्रीमती नंदा पति  
२०१७  
कलेक्टर महोदय  
बुरहानपुर  
दिनांक  
२०१७

1. श्रीमती नंदा पति प्रमोद महाजन निवासी वार्ड नं. 12, ग्राम शाहपुर तहसील  
व जिला बुरहानपुर म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर म.प्र.

..... प्रत्यर्थी

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करती है :-

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुरहानपुर के द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर के राजस्व प्रकरण क्रं. 96अ/6/2014-15 (श्रीमती नंदा पति प्रमोद महाजन ..... आवेदिका विरुद्ध श्रीमती गीताबाई पति नारायण ..... अनावेदिका) में पारित किये गये आदेश दिनांक 10/08/2015 का कलेक्टर महोदय बुरहानपुर के तथाकथित पत्र दिनांक 15/07/2016 के आधार पर पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति देने संबंधी पारित किये गये आदेश दिनांक 04/07/2017 से दुखी पीड़ित होकर प्रस्तुत की गई हैं।

*(Handwritten signature)*


जंदा | 500  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

PBR/निज/गुस्वानपुर/२२-१/२०१७/३५१७

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-2017	<p>आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-7-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये की सीलिंग की भूमि को न तो दान करने का और ना ही विक्रय करने का अधिकार रहता है । अतः तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दानपत्र के आधार पर नामान्तरण करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है इसलिये तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-8-2015 के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>